

संक्षिप्त

गार्डन में बैठे छात्र-छात्रा व बुजुर्ग में हुई कहासुनी

कोटा, (निर्स)। दादाबाड़ी थाना इलाके में एक गार्डन में बैठे छात्र-छात्रा व स्थानीय एक बुजुर्ग के बीच हुई कहासुनी के बाद डगड़े का मामला सामने आया है दोनों पक्षों ने दादाबाड़ी थाने में एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दादाबाड़ी थानाधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि दादाबाड़ी स्थित सद्गवना पार्क में छात्र-छात्रा बैठे थे। गार्डन की समिति के एक बुजुर्ग ने उन्हे गार्डन से बाहर जाने को कहा जिस पर दोनों के बीच कहासुनी को लेकर हुई और उसी समय समिति ने अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गये। मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है, मामले की जांच की जा रही है। मामले में सामने आया कि दोनों पार्क में बैठकर नीट के पेपर एवं एडमिट कार्ड को लेकर आपस में बात कर रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति आया और दोनों को पार्क से बाहर निकल जाने को लेकर चिल्लाने लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पेयजल आपूर्ति आज बंद

रामगंजमंडी(निर्स)। रामगंजमंडी पेयजल परियोजना के इंटेक वेल अंबाकुई पर 0.3 मई शनिवार को दोपहर 1.00 बजे से 7.30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होने से रामगंजमंडी क्षेत्र के समस्त ग्रामों एवं शहरों की 0.4 मई रविवार को होने वाली पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। पेयजल के मुख्य पेयजल स्रोत जंबा कुई पर रावतभटाटा से पुरानी एवं अजीब विद्युत लाईनों में आए दिना फाल्ट आने से लगातार पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। जिससे ग्रीष्म काल में आमजन को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत आपूर्ति सुचारु होने पर ही पेयजल आपूर्ति सुचारु हो सकेगी।

अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निर्स)। ईटावा पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ 01.200 किलोग्राम गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अभीक्ष्ण सुजात शंकर ने बताया कि ईटावा थानाधिकारी संदीप विस्नोई मय जापा थाना इलाके के करवाड़ रोड़ पर रहिली मोड के समीप नाकाबंदी कर वाहनो की चैकिंग कर रहे थे। ग्रामीण एसपी ने बताया कि चैकिंग के दौरान एक बाईक सवार को रोककर चैक किया तो उसके पास से अवैध मादक पदार्थ 01.200 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने कोटा पर एनपीडीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए हजमानपुरा निवासी सरोतलम मीणा (34) को गिरफ्तार किया एवं बाईक व माल को जप कर लिया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

महत्वपूर्ण सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एस एन पारिक मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर संस्थान, 3-बसंत विहार, कोटा अपने यात्री भर्ती मरीजों का दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 30 दिसंबर 2017 तक समस्त पुराना रिकॉर्ड गूगल करने के लिए यह विभाण जारी किया जा रहा है। सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी मरीज/परिजन को भर्ती इलाज की फाइल की किसी लेनी हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अपने भर्ती इलाज संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदन कर देंगे। इस नियम अन्वये के पश्चात अस्पताल प्रशासन को कोई जवाबदेही नहीं होगी या ना ही कोई आपत्ति/दावा स्वीकार किया जाएगा।
एस एन पारिक मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
दिनांक 02.05.2025 संस्थान, 3-बसंत विहार, कोटा

न्यायालय न्यायाधीश कोटा राजस्थान
प्रार्थना पत्र क्रमांक : CM 26/25
बहजानसिंग श्री सत्यनारायण व्यास
हरजीत सिंह सिसोदिया पुत्र स्व. श्री मुकेश सिंह सिसोदिया उम्र 30 वर्ष निवासी- म.नं. 502 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वाई 06, कोटा (राज.)
..... प्रार्थी
-बनाम -
(1) अजीक्ष क अभिता, राजस्थान राज्य विधान परिषद कोटा वृत्त, सेंट मानसाह मंडी किसान भवन के पास, कोटा (राज.) (2) मनता केंवर पत्नी स्व. श्री मुकेश सिंह सिसोदिया उम्र- 50 वर्ष (3) बीजीत सिंह सिसोदिया पुत्र स्व. श्री मुकेश सिंह सिसोदिया उम्र 28वर्ष (4) विशाखा सिसोदिया पुत्री स्व. श्री मुकेश सिंह सिसोदिया उम्र 26 वर्ष निवासीगण:- म.नं. 502 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वाई 06, 6, कोटा (राजस्थान)अप्रार्थीगण
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जनरल नोटिड
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक मुकेश सिंह पुत्र पत्नी सिंह निवासी कोटा राज. द्वारा अपने जीवन काल में एक कौटुंबिक लाइसेंस जो की अधीक्षक अभियंता राज. राज्य कृषि विभाग बोर्ड कोटा वृत्त कोटा द्वारा जारी किया हुआ है को दौसफर कस्याने हेतु प्रार्थी हरजीत सिंह सिसोदिया द्वारा एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहने केबाद न्यायालय में आवेदन किया है और उपरोक्त प्रमाण पत्र एवं कौटुंबिक लाइसेंस के सम्बन्ध में किसी धार्मिक को एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दर्जित दिनांक 21.05.2025 तक अपनी आपत्ति स्वयं याथा न्हीडर के माध्यम से दर्ज करावे, अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में अधीक्षक अभियंता R.S.A.M.B. कोटा वृत्त में मुकेश सिंह के नाम जारी कौटुंबिक लाइसेंस के दौसफर हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
न्यायालय के आदेश से
मोहर
वर्तित मुसुरिम जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा (राज.)

गांवों में कीचड़ साफ हो, नालियां बनाई जाएं, ड्रेनों की हो सफाई : नागर



ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सिमलिया में जनसुनवाई की।

ने अधिकारियों को बुलाकर गांवों में कीचड़ की सफाई दो दिन में कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि सफाई नहीं होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही

की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि यहां वहां डाली गई रेवड़ी और रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को हटाकर नालियां और सीसी सड़क या इंटरलॉकिंग लगाई जाए। उन्होंने तालाबों का

सौंदर्यीकरण कर नाला निर्माण, घाट निर्माण के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की बात कही।

मंत्री नागर को ग्रामीणों ने नहरों और वितरिकाओं में गंदगी और

ऊर्जा मंत्री ने सिमलिया में की जनसुनवाई

दूट-फूट की शिकायत की। जिस पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को ड्रेनों की सफाई के निर्देश दिए। पट्टा नहीं मिलने की शिकायत पर मंत्री नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पर वर्षों से लोग गांव में रह रहे हैं, उस भूमि को आबादी में कन्वर्ट करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजें। ताकि लोगों को पट्टा मिल सकें। इस दौरान आंननबाड़ी केंद्र के लिए भूमि देने की मांग की गई। सिमलिया चिकित्सालय में एक्सरे मशीन लगाने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग से दो एफआरटी देने के भी निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, मण्डल अध्यक्ष उध्मा मीणा समेत क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

नागर निगम उत्तर व दक्षिण की संयुक्त बैठक

कोटा, (निर्स)। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में शुक्रवार को नागर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त अनुराग भार्गव ने शहर के विकास को लेकर नागर निगम उत्तर व दक्षिण की संयुक्त बैठक आयोजित कर अधिकारियों/ अभियंताओं/ कर्मचारियों को निम्न आवश्यक निर्देश प्रदान किये-शहर में लग रहे अवैध होर्डिंग्स/ पोस्टर/बैनर हटाने एवं ज़मीना लगाकर आवश्यकता होने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये। वहीं शहर की सड़कों एवं ड्रिवाइडरों पर हो रहे अतिक्रमण के निर्माण को फोटो-वीडियोग्राफी के माध्यम से चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही करने, फुटपाथ पर स्थापित अवैध टेलों व वाहनों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिये साथ ही निगम की सरकारी भूमियों को चिन्हित कर अन्य एजेंसीयों के सहयोग से नीलाम करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

रामपुरा में स्थानीयों को मिलेगी पार्किंग सुविधा

कोटा, (निर्स)। भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर जैन ने बताया की बहुत जल्द रामपुरा में स्थानीय व्यापारियों को सड़क के, यहां की आवश्यकता को समझे बैगर यहां सामुदायिक भवन का निर्माण करवा दिया। तथा सस्का किया आमजन की पहुंच से बाहर कर दिया। संज्ञात में आया है कि एक वर्ष में 3 से 5 कार्यक्रम यहां हुए हैं। अगर यहां वाहन पार्किंग बना दी जाते तो उसकी इंकम, इससे बहुत ज्यादा होगी। अधिकारियों से चर्चा कर सामुदायिक भवन के हॉल का एक दिन का कियाया कम से कम करने, दूसरे दिन का कियाया आधा करने के दिशा निर्देश दिये। सामुदायिक भवन के बाहर जो जगह है, उसमें से एक हिस्सा सामुदायिक भवन के साथ करने तथा पुराना गाड़ी खाना से एक रास्ता निकालकर यहां पैड वाहन पार्किंग बनवायी जाने के निर्देश दिये। विशेषकर यहां के स्थानीय मेडिकल व्यापारी, कर्मचारी एवं स्थानीय आमजन को प्राथमिकता दी जाये।

निरक्षण किया गया है। जैन ने बताया की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिना किसी योजना के, यहां की आवश्यकता को समझे बैगर यहां सामुदायिक भवन का निर्माण करवा दिया। तथा सस्का किया आमजन की पहुंच से बाहर कर दिया। संज्ञात में आया है कि एक वर्ष में 3 से 5 कार्यक्रम यहां हुए हैं। अगर यहां वाहन पार्किंग बना दी जाते तो उसकी इंकम, इससे बहुत ज्यादा होगी। अधिकारियों से चर्चा कर सामुदायिक भवन के हॉल का एक दिन का कियाया कम से कम करने, दूसरे दिन का कियाया आधा करने के दिशा निर्देश दिये। सामुदायिक भवन के बाहर जो जगह है, उसमें से एक हिस्सा सामुदायिक भवन के साथ करने तथा पुराना गाड़ी खाना से एक रास्ता निकालकर यहां पैड वाहन पार्किंग बनवायी जाने के निर्देश दिये। विशेषकर यहां के स्थानीय मेडिकल व्यापारी, कर्मचारी एवं स्थानीय आमजन को प्राथमिकता दी जाये।

कोटा में नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर ऑटो चालकों की मनमानी

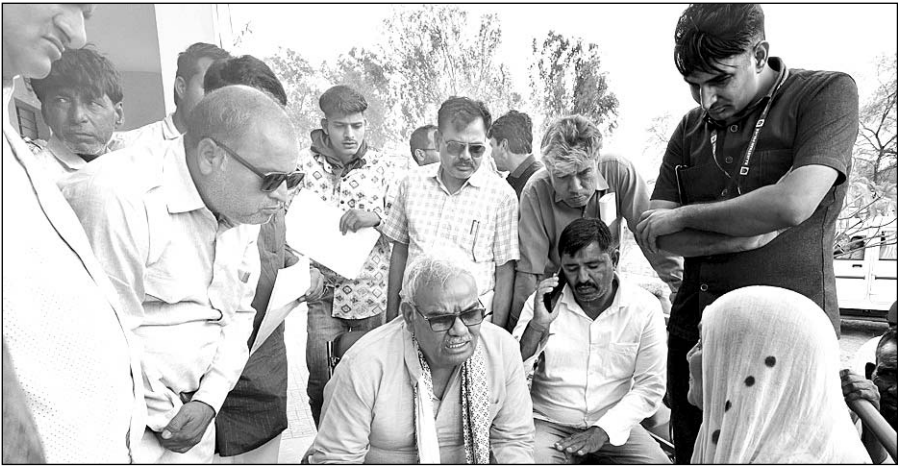
कोटा, (निर्स)। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी रविवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। कोटा में 73 परीक्षा केन्द्रों पर 32 हजार 424 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। शहर के 32 राजकीय और 41 निजी विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा केन्द्र स्टेशन से लेकर शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में स्थित हैं। परीक्षा केन्द्रों तक आने-जाने के लिए परीक्षार्थी और अभिभावक एक दिन पहले ही ऑटो और यातायात के साधन बुक करने लगे हैं। ऐसे में कई शिकायतें भी जिला प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। कुछ रिकॉर्ड्स आ रही हैं, जिसमें ज्यादा किराया चार्ज करने को बातें आ रही हैं। इन्हीं शिकायतों के चलते परिवहन विभाग एक्शन मोड में है। ऑटो चालकों से समझाईश के साथ उन्हें चेताया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा परिक्षार्थियों को सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है।

- नीट-यूजी परीक्षार्थियों से किराया वसूली की शिकायतों पर परिवहन विभाग का एक्शन
- रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर संचालित ऑटो स्टैंड पर ऑटो चालकों से की गई समझाईश

जिला परिवहन अधिकारी (आरटीओ) मनीष शर्मा ने बताया कि इस संबंध में शहर के ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक ली गई। इसमें सभी को स्टूडेंट्स की मदद करने और जिम्मेदारी से परीक्षा केन्द्र छोड़ने के लिए पाबंद किया गया। ज्यादा किराया चार्ज नहीं करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। यदिशिकायत आती है और सही पाई जाती है तो ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर संचालित किए जाने वाले ऑटो स्टैंड पर भी ऑटो संचालकों को शनिवार को स्थानीय व्यापारियों सहित रामपुरा स्थित गाड़ी खाने का औचक

चालकों को निर्धारित किराया लेने तथा परीक्षार्थियों को केयर करते हुए परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। आरटीओ मनीष शर्मा ने कहा कि इसके साथ ही परीक्षार्थियों को एडिशनल सपोर्ट देने के लिए विभाग की ओर से रविवार को विशेष रूप से शहर है। कुछमार्क सिटी, जवाहर नगर और बारां रोड नया नोहरा क्षेत्र से सुबह सिटी बसें का संचालन पार्किंग की जाएगी। इन इलाकों में सिटी बसें भी परीक्षार्थियों के लिए विकसत होगा, जहां से वे परीक्षा केन्द्र तक जा सकेंगे। ऑटो चालकों को बताया गया है कि कोटा में स्टूडेंट्स अपना कॅरियर बनाने आते हैं।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गलियों में पैदल घूमकर देखी सफाई व्यवस्था



कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आमजन की समस्याएं भी सुनी हैं।

मंत्री ने खैराबाद और मोड़क गांव में अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि यह रसोई नाम के अनुरूप क्षेत्र की जनता के लिए सच्चे

अर्थों में अन्नपूर्णा सिद्ध होनी चाहिए, जहां प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित शुल्क

बारात पहुंचने से पहले दूल्हे पर किया चाकू से हमला

कोटा, (निर्स)। देवली मांड़ी थाना इलाके में शुक्रवार रात्रि को लड़की वालों के घर बारात पहुंचने से पहले घोड़ी पर बैठे दूल्हे पर अचानक से चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। हमले में घायल दूल्हे को उपचार के लिये कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गया, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात हमलावर की तलाश करते हुए घटना के कुछ घंटो बाद ही हमलावर को डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बूंदी जिले के इंद्रपुरिया गांव निवासी लक्ष्मीनारायण बैरवा की बारात देवली मांड़ी थाना इलाके के सातलखेड़ी गांव में आई थी, सातलखेड़ी निवासी मीनाक्षी के साथ उसका विवाह होना था। सातलखेड़ी गांव में शुक्रवार रात्रि को बारात निकल रही थी दूल्हा लक्ष्मीनारायण सबसे पीछे घोड़ी पर बैठा हुआ था और उसके दोस्त व परिजन आगे डांस कर रहे थे तभी बारात पहुंचने से पहले अज्ञात हमलावर ने लक्ष्मीनाराण के ऊपर चाकू से हमला कर दिया जिससे वह घोड़ी से नीचे गिर गया और मौके पर एकदम भगदड़ मच गई और हमलावर मौका पाकर मौके से फरार हो गया।

न्यायालय श्रीमान अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, क्र.सं. 1, बूंदी (कोर्ट केम्प - के. पाटन) (राज.) प्रार्थना पत्र संख्या : 09/2025
प्रमोद मीणा व अन्य बनाम
शाखा प्रबंधक महोदय एस.बी.आई. बैंक शाखा - कापरेन
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भा.उ.अधि. 1926
- सर्व साधारण सूचना -
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण प्रमोद मीणा पुत्र मृतक बनवाही लाल, सुखसेना कुमारी पुत्री मृतक बनवाही लाल और निर्मला बाई पत्नी स्व. बनवाही लाल निवासीगुण शंकर कॉलोनी, कापरेन जिला बूंदी, राजस्थान ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मृतक बनवाही लाल आत्मण हसरज मीणा निवासी शंकर कॉलोनी, कापरेन की दिनांक 27.01.2022 को राजकीय एम.बी.एस. अस्पताल कोटा में मृत्यु हो गई हैं। किनका भारतीय स्टेट बैंक शाखा कापरेन जिला बूंदी में एक खाता है, जिसके खाता नम्बर 61131759180 है । जिसमें 103145.23/- रुपये (एक लाख तीन हजार एक सौ पचासी रुपये और तैंस पैसे) जमा है, जिसमें कोई भीमनी नहीं है । प्रार्थीगण ने उक्त राशि प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अत: यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 21.05.2025 को प्रात: 8 बजे न्यायालय के सम्म स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखें । अन्यथा प्रार्थीगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा । आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है। आशानुसार
रीडर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं. 1, बूंदी (राज.) केम्प के. पाटन
मुद्रा

राजस्थान आवासन मण्डल	हमारा प्रयास - सबको आवास
जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा, बाड़मेर	
50% तक की छूट	
कैम्प में निर्मित आवास एवं फ्लैट खरीदने का सुनहरा अवसर	
स्थल: वाडमेर भरारा आवासीय योजना	स्थल: छबड़ा छबड़ा आवासीय योजना
06.05.2025 से 07.05.2025	20.05.2025 से 21.05.2025
स्थल: चोमहेला आवासीय योजना चोमहेला	स्थल: भीलवाड़ा सुवाना आवासीय योजना
06.05.2025 से 07.05.2025	20.05.2025 से 21.05.2025
स्थल: महला महला आवासीय योजना	स्थल: मंगरोल मंगरोल आवासीय योजना
06.05.2025 से 07.05.2025	20.05.2025 से 21.05.2025
स्थल: जोधपुर विवेक विहार आवासीय योजना	स्थल: परतापुर परतापुर आवासीय योजना
13.05.2025 से 14.05.2025	27.05.2025 से 28.05.2025
स्थल: जोधपुर कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना	स्थल: नैनवा नैनवा आवासीय योजना
13.05.2025 से 14.05.2025	27.05.2025 से 28.05.2025
स्थल: छीपाबड़ोद छीपाबड़ोद आवासीय योजना	*उपरोक्त आवास 'जहाँ/जैसी स्थिति में है' आवंटित किये जायेंगे।
13.05.2025 से 14.05.2025	
विस्तृत विवरण के लिए आवासन मण्डल की वेबसाइट rnh.rajesthan.gov.in देखें। हैदराबाद नं. कार्यालय सभाग मं. 0141-2744688, 2740009, कार्यालय समय उपरात्रत: 9461054291/92/319 एवं 9460254319, 6376868696 या समन्वयक अधिकारी श्री भारत भूषण जैन (9828363615) से सम्पर्क करें । आवासन आयुक्त	

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-न.फ-15/क.भू.क./2025/167

विज्ञापित

दिनांक:-2.5.2025

सर्व साधारण को जयें विज्ञापि सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा योजना "श्रीम नगर कोलोनी" खसरा नं. 293/419 में स्थित मूखंड संख्या बी-12 का नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्याय कार्यालय में श्रीमती लक्ष्मी पत्नी ओम प्रकाश निवासी-हरिजन बस्ती पेट्रोल पम्प के सामने बोरखेड़ा कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त मूखंड का पट्टा क्रमांक 11426 दिनांक 13.02.2012 को श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री रमेशचन्द के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा संलग्न मूल्य प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 14.01.2021 को हो चुकी है। पट्टेधारी की मृत्यु उपरांत आवेदक द्वारा जयें रजि. वसीयत दिनांक 20.02.2018 के आधार पर अपने पक्ष में नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। अतः श्रीमती लक्ष्मी पत्नी ओम प्रकाश के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्तर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अपना विरुद्धि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 255 जाहिर आम सूचना दिनांक - 02.05.25

आवास संख्या 4-फ-14 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती मरियम बैम पत्नी श्री ऐ.के. अरसल कुरेशी को किया गया था। इस आवास का निर्वाहिकरण श्रीमती शशि जैन पत्नी श्री अनिल कुमार जैन के नाम दिनांक 11.01.1999 को किया गया। इस आवास का पंजीन श्रीमती शशि जैन पत्नी श्री अनिल कुमार जैन द्वारा दिनांक 08.02.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीन उपरांत श्रीमती शशि जैन पत्नी श्री अनिल कुमार जैन द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पर अलौखित कर दिनांक 14.12.2022 को श्री अली अकबर अंसारी पुत्र श्री अरुण अली को किया गया। श्री अली अकबर अंसारी पुत्र श्री अस्मर अली का नाम दिनांक 27.07.2023 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री अली अकबर अंसारी पुत्र श्री अस्मर अली द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र अलौखित कर दिनांक 03.01.2025 को श्री अश्वनी कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव शरण शर्मा को किया गया। श्री अश्वनी कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव शरण शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-फ-14 विज्ञान नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अश्वनी कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव शरण शर्मा का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अश्वनी कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव शरण शर्मा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अश्वनी कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव शरण शर्मा को नाम दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक: 216

जाहिर आम सूचना

दिनांक - 30.4.25

आवास संख्या 3-सी-19 कुन्दाही कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती शाना गुलाटी पत्नी श्री सुखदेव राज गुलाटी को किया गया था। श्रीमती शाना गुलाटी पत्नी श्री सुखदेव राज गुलाटी के निवेदन पर उक्त आवास में इनके नाम के साथ इनकी पुत्री श्रीमती रंजना कालरा का नाम दिनांक 20.6.2005 को संयुक्त रूप से जोड़ा गया। इस आवास का पंजीन श्रीमती शाना गुलाटी पत्नी श्री सुखदेव राज गुलाटी एवं श्रीमती रंजना कालरा पत्नी श्री गुरुचरण कालरा द्वारा दिनांक 28.06.2013 को अपने पक्ष में संयुक्त रूप से करवाया गया। पंजीन उपरांत श्रीमती शाना गुलाटी पत्नी श्री सुखदेव राज गुलाटी एवं श्रीमती रंजना कालरा पत्नी श्री गुरुचरण कालरा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र अलौखित कर दिनांक 04.07.2013 को श्री जीवन ज्योति अग्रवाल पुत्र श्री कमला प्रसाद अग्रवाल को किया गया। श्री जीवन ज्योति अग्रवाल पुत्र श्री कमला प्रसाद अग्रवाल का विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 30.9.2013 को उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री जीवन ज्योति अग्रवाल पुत्र श्री कमला प्रसाद अग्रवाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र अलौखित कर दिनांक 30.1.2023 को श्री सोहन चन्द पुत्र श्री गब्बर मल को किया गया। श्री सोहन चन्द पुत्र श्री गब्बर मल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-सी-19 कुन्दाही कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री सोहन चन्द पुत्र श्री गब्बर मल का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री सोहन चन्द पुत्र श्री गब्बर मल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री सोहन चन्द पुत्र श्री गब्बर मल के नाम दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा